संख्या-सा-3- 1329/दस-97-930/83

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त(सामान्य) अनुभाग- 3, लखनऊ: दिनांक:27 सितम्बर, 1997

विषय:- पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण, मंडगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने विचारोपरान्त अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा / प्रदेशीय सेवाओं के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुनर्नियुक्ति प्रदान किये जाने पर निम्नलिखित सेवा शर्तों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया है। यह सेवा शर्तें उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15-12-1983 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त होगी :-

1- पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो से अधिक न हो।

2- पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो उसे पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

3- पुनर्योजन की अवधि में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त

-------2/

अधिकारी को पुनर्याजित होने पर 3000/- रुपये मासिक का गृह आवास भत्ता अनुमन्य नहीं होगा, वरन् उनके समकक्ष राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य पद के अनुरूप गृह आवास भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा।

4- पुनर्याजन की अवधि में आवासीय टेलीफोन की सुविधा एस0टी0 डी0 रहित समकक्ष राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के अनुरूप ही अनुमन्य होगी।

5- पुनर्याजन की अवधि में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा समकक्ष राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के अनुरूप ही अनुमन्य होगी।

6- पुनर्याजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्याजन की अवधि में ऐसे पदाधिकारी को विशेषज्ञ के रूप में "कन्सल्टेन्ट", "परामर्शी" अथवा "विशेष कार्याधिकारी" के पद के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है।

2- यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

§ आलोक रंजन §
मुख्य सचिव।

संख्या-सा-3- 1329§।§/दस-97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रथम एवं तृतीय, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, द्वितीय, लखनऊ।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- विधान सभा सचिवालय / विधान परिषद सचिवायल, उ0प्र0, लखनऊ।
5- राज्यपाल सचिवालय , लखनऊ।

आज्ञा से,

§ शिव प्रकाश §
संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-3- 1329§।।§/दस-97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम / निगम / कम्पनी।

आज्ञा से,

§ शिव प्रकाश §
संयुक्त सचिव।